



Research Article

भारतीय वित्तीय संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध: चुनौतियाँ एवं सुधार एक विस्तृत शोध और विश्लेषण पत्र

डॉ. सुरेश चन्द गुप्ता

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय, करौली, राजस्थान, भारत

Corresponding Author: * डॉ. सुरेश चन्द गुप्ता

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21622506>

सारांश

वित्तीय संघवाद से तात्पर्य किसी संघीय देश में सरकार के विभिन्न स्तरों (केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों) के बीच राजस्व (Revenue) जुटाने और व्यय (Expenditure) करने की शक्तियों के विभाजन से है। भारत का वित्तीय संघवाद अद्वितीय है क्योंकि यह "विनाशकारी राज्यों के अविनाशी संघ" (An indestructible Union of destructible States) की अवधारणा पर आधारित है। स्वतंत्रता के बाद से ही, भारत में एक मजबूत केंद्र की स्थापना की गई ताकि देश की अखंडता और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जा सके। हालांकि, जैसे-जैसे राज्यों की आर्थिक आकांक्षाएं बढ़ी हैं, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में कई जटिलताएं और तनाव उत्पन्न हुए हैं।

Manuscript Information

- ISSN No: 2583-7397
- Received: 05-06-2026
- Accepted: 22-07-2026
- Published: 27-07-2026
- IJCRM:5(4); 2026: 470-474
- ©2026, All Rights Reserved
- Plagiarism Checked: Yes
- Peer Review Process: Yes

How to Cite this Article

गुप्ता सु. चं. भारतीय वित्तीय संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध: चुनौतियाँ एवं सुधार एक विस्तृत शोध और विश्लेषण पत्र. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(4):470-474.

Access this Article Online



www.multiarticlesjournal.com

मुख्य शब्द : वित्तीय संघवाद ,सातवीं अनुसूची, वित्त आयोग, वस्तु एवं सेवा कर (GST), उपकर और अधिभार, सहकारी संघवाद , ऊर्ध्वाधर असंतुलन।

1. प्रस्तावना

वित्तीय संघवाद किसी भी बहु-स्तरीय शासन प्रणाली का आर्थिक कोर (Core) होता है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारत की विविधता, क्षेत्रीय असमानताओं और देश की एकता को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे अनूठे संघीय ढांचे का निर्माण किया, जिसमें केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। इसे अकादमिक भाषा में 'अर्ध-संघीय' (Quasi-Federal) या 'केंद्रीकृत संघवाद' कहा जाता है।

इस शोध का परिचय इस बात से है कि पिछले सात दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। 1951 से 2014 तक का दौर जहां योजना आयोग के नीतिगत नियंत्रण में रहा, वहीं 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के लागू होने के बाद भारत 'साझा संप्रभुता' (Shared Sovereignty) के युग में प्रवेश कर चुका है। वर्तमान में विवाद का विषय यह नहीं है कि केंद्र शक्तिशाली क्यों है, बल्कि विवाद इस बात पर है कि केंद्र द्वारा उपकर (Cess) और अधिभार (Surcharge) के बढ़ते उपयोग से राज्यों के वैध राजकोषीय अधिकार सीमित हो रहे हैं। यह शोध पत्र इसी राजकोषीय तनाव के ऐतिहासिक, संवैधानिक और समकालीन आयामों का विश्लेषण करता है।

2. शोध के उद्देश्य

इस शोध पत्र के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. भारतीय संविधान के भाग XII के तहत केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों के विभाजन का आलोचनात्मक विश्लेषण करना।
2. योजना आयोग की समाप्ति के बाद नीति आयोग, GST परिषद और वित्त आयोग (विशेषकर 15वें और 16वें वित्त आयोग) की बदलती भूमिका का मूल्यांकन करना।
3. केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले उपकर और अधिभार के कारण राज्यों के 'विभाज्य पूल' पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों की जांच करना।
4. जनसांख्यिकीय प्रदर्शन के आधार पर उत्तर और दक्षिण भारतीय राज्यों के बीच उत्पन्न राजकोषीय असंतुलन का अध्ययन करना।
5. सहकारी और राजकोषीय संघवाद को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

3. साहित्य की समीक्षा / पुराने शोध कार्य

भारतीय वित्तीय संघवाद पर समकालीन और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में व्यापक शोध कार्य हुए हैं। इस शोध पत्र का आधार तैयार करने के लिए निम्नलिखित पुराने शोध कार्यों की समीक्षा की गई है:

- **राव और सिंह (2005)** ने अपने व्यापक अध्ययन '*पॉलिटिकल इकॉनमी ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया*' में तर्क दिया कि भारत में ऊर्ध्वाधर असंतुलन (Vertical Imbalance) जानबूझकर संवैधानिक रूप से बनाया गया था ताकि केंद्र क्षेत्रीय असमानताओं को दूर कर सके। हालांकि, उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि विवेकाधीन हस्तांतरण (Discretionary Transfers) राजनीतिक प्राथमिकताओं से प्रेरित होते हैं।
- **रेड्डी (2014)** (14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष) ने अपने लेखों में रेखांकित किया कि राज्यों को बिना किसी शर्त के अधिक कर हस्तांतरण (42%) दिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास कर सकें। उन्होंने 'केंद्रीय

प्रायोजित योजनाओं' (CSS) के माध्यम से राज्यों की स्वायत्तता में दखल की आलोचना की थी।

- **आहलूवालिया (2016)** ने योजना आयोग के विघटन और नीति आयोग के उदय पर शोध करते हुए कहा कि वित्तीय आवंटन शक्तियों के बिना नीति आयोग केवल एक थिंक-टैंक बनकर रह गया है, जिससे राज्यों की सौदेबाजी की शक्ति (Bargaining Power) वित्त मंत्रालय के सामने कमजोर हुई है।
- **इसहाक और रामकृष्णन (2019)** ने GST के बाद के परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए तर्क दिया कि 'एक राष्ट्र, एक कर' ने राज्यों की कर लगाने की संप्रभु शक्ति को समाप्त कर दिया है। विशेष रूप से मंदी के दौर में राज्य अपनी मर्जी से राजस्व नहीं जुटा सकते, जो वित्तीय संघवाद के मूल सिद्धांत के खिलाफ है।
- **केकर और शाह (2021)** ने उपकर और अधिभार के मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। उनके अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा गैर-साझा पूल (Non-Divisible Pool) के माध्यम से राजस्व जुटाना वित्त आयोग की भावना को कमजोर करता है, जिससे राज्यों को उनका वास्तविक 41% या 42% हिस्सा कभी नहीं मिल पाता।
- **सुब्रमण्यन (2023)** ने 15वें वित्त आयोग के मानदंडों का विश्लेषण करते हुए दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताओं को जायज ठहराया। उन्होंने पाया कि जनसांख्यिकीय नियंत्रण करने वाले राज्यों को वित्तीय रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो 'प्रतिस्पर्धी संघवाद' के सिद्धांतों को चोट पहुँचाता है।

संवैधानिक ढांचा और राजस्व का विभाजन (Constitutional Framework)

भारतीय संविधान के भाग XII (अनुच्छेद 264 से 300) में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का विस्तृत विवरण है। संविधान की सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule) कर लगाने की शक्तियों को विभाजित करती है:

क. वित्तीय शक्तियों का झुकाव (Centralized Asymmetry)

- **केंद्र सूची (Union List):** सीमा शुल्क (Customs Duty), निगम कर (Corporation Tax), आयकर (कृषि आय को छोड़कर), और वस्तु एवं सेवा कर (GST) का केंद्रीय हिस्सा। ये कर अत्यधिक गतिशील और उत्पादक होते हैं।
- **राज्य सूची (State List):** भूमि राजस्व, कृषि आय पर कर, शराब पर उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क और भू-संपत्ति पर कर। ये राजस्व के सीमित स्रोत हैं।
- **अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers):** अनुच्छेद 248 के तहत उन करों को लगाने की शक्ति केंद्र के पास है जो किसी भी सूची में शामिल नहीं हैं।

ख. प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद

- **अनुच्छेद 268:** केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले लेकिन राज्यों द्वारा एकत्रित और उपयोग किए जाने वाले शुल्क (जैसे स्टाम्प शुल्क)।

- **अनुच्छेद 269:** केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए जाने वाले लेकिन राज्यों को सौंपे जाने वाले कर (अंतर-राज्यीय व्यापार में माल की बिक्री पर कर)।
- **अनुच्छेद 269A:** अंतर-राज्यीय व्यापार के दौरान IGST की वसूली और केंद्र-राज्य के बीच विभाजन।
- **अनुच्छेद 270:** केंद्र द्वारा एकत्रित करों का संघ और राज्यों के बीच विभाजन (Finance Commission की सिफारिश पर)।
- **अनुच्छेद 275:** आवश्यकता वाले राज्यों को केंद्र द्वारा दिए जाने वाले वैधानिक अनुदान (Statutory Grants)।
- **अनुच्छेद 282:** संघ या राज्य द्वारा किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए दिया जाने वाला विवेकाधीन अनुदान (Discretionary Grants)।

भारतीय वित्तीय संघवाद का विकासक्रम

भारतीय वित्तीय संघवाद का सफर योजना आयोग (Planning Commission) के दौर से शुरू होकर नीति आयोग और 16वें वित्त आयोग तक पहुंचा है। इस विकासक्रम को नीचे दिए गए घटनाक्रम के माध्यम से समझा जा सकता है:

योजना आयोग का प्रभुत्व (गाडगिल-मुखर्जी फॉर्मूला) 1951 - 2014
इस दौर में वित्त आयोग के साथ-साथ योजना आयोग (Planning Commission) का दबदबा रहा। राज्यों को विवेकाधीन अनुदान (अनुच्छेद 282) के तहत भारी धनराशि दी गई, जिससे योजना आयोग को 'अति-कैबिनेट' कहा जाने लगा और राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित हुई।

14वां वित्त आयोग: एक युगांतरकारी बदलाव 2015
वाई. वी. रेड्डी की अध्यक्षता में 14वें वित्त आयोग ने राज्यों के कर हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर सीधे **42%** कर दिया। इसका उद्देश्य राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता (Fiscal Autonomy) देना और सशर्त अनुदानों को कम करना था।

नीति आयोग और योजना आयोग की समाप्ति 2015
योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग (NITI Aayog) का गठन किया गया। वित्तीय आवंटन की शक्ति अब पूरी तरह वित्त मंत्रालय और वित्त आयोग के पास आ गई, और नीति आयोग को 'सहकारी संघवाद' के लिए एक थिंक-टैंक बनाया गया।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) का कार्यान्वयन 2017
101वें संविधान संशोधन द्वारा 'एक राष्ट्र, एक कर' की अवधारणा लागू हुई। राज्यों ने अपने कर लगाने के संप्रभु अधिकार (जैसे वैट, विलासिता कर) त्याग दिए, जिससे वित्तीय संघवाद 'प्रतिस्पर्धी' से 'सहकारी और साझा' संघवाद में बदल गया।

15वां वित्त आयोग और जनसांख्यिकीय विवाद 2020 - 2026
एन. के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग ने आवंटन के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया, जिसका दक्षिण भारतीय राज्यों ने विरोध किया। कर हिस्सेदारी को 41% (जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन के बाद) तय किया गया।

16वां वित्त आयोग (वर्तमान परिदृश्य) 2025 - 2026
अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, जो अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले अगले 5 वर्षों के लिए सिफारिशें तैयार कर रहा है। इसके सामने उपकर (Cesses) और अधिभार (Surcharges) के विवाद को सुलझाने की बड़ी चुनौती है।

वित्तीय असंतुलन की प्रकृति (Nature of Fiscal Imbalances)

भारत में वित्तीय असंतुलन दो रूपों में प्रकट होता है, जो केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव का मुख्य कारण है:

क. ऊर्ध्वाधर असंतुलन (Vertical Imbalance)

संविधान ने राजस्व जुटाने के मुख्य और गतिशील स्रोत केंद्र को सौंपे हैं, जबकि लोक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे भारी व्यय वाले विषय राज्यों के पास हैं।

- राज्यों का अपने कुल राजस्व व्यय के लिए केंद्र से मिलने वाले हस्तांतरण पर निर्भर रहना पड़ता है। औसतन, राज्यों के कुल राजस्व का लगभग **40-45%** हिस्सा केंद्र से आता है।

ख. क्षैतिज असंतुलन (Horizontal Imbalance)

विभिन्न राज्यों के बीच विकास, संसाधन और जनसांख्यिकी का भारी अंतर है। उदाहरण के लिए, बिहार या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक की प्रति व्यक्ति आय और कर राजस्व बहुत अधिक है। वित्त आयोग का कार्य इस अंतर को पाटना है, लेकिन यह अक्सर अमीर और गरीब राज्यों के बीच विवाद का कारण बनता है।

समकालीन विवाद और चुनौतियां (Contemporary Challenges)

एक अकादमिक शोध पत्र के लिए निम्नलिखित मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिन पर गहन विश्लेषण आवश्यक है:

1. उपकर और अधिभार का बढ़ता उपयोग (Cesses and Surcharges)

यह वर्तमान में केंद्र-राज्य विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा है। संविधान के तहत, केंद्र सरकार उपकर (जैसे कृषि अवसंरचना उपकर, शिक्षा उपकर) और अधिभार लगा सकती है, लेकिन इस राशि को **राज्यों के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं होती** (Divisible Pool से बाहर)।

- पिछले दशक में, केंद्र के कुल राजस्व में उपकर और अधिभार की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग **15-20%** हो गई है। इसका मतलब है कि राज्यों को सैद्धांतिक रूप से 41% कर मिलना चाहिए, लेकिन प्रभावी रूप से उन्हें कुल केंद्रीय करों का केवल 32-34% ही मिल पा रहा है।

2. GST और राज्यों की वित्तीय संप्रभुता का हास

GST के आने से राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता सीमित हो गई है। वे मंदी या आपातकाल के समय अपनी मर्जी से कर की दरें नहीं बढ़ा सकते। जून 2022 में 5-वर्षीय 'GST मुआवजा (Compensation)' की अवधि समाप्त होने के बाद से कई राज्यों (विशेषकर गैर-भाजपा शासित राज्यों) को राजस्व घाटे का सामना करना पड़ रहा है।

3. जनसांख्यिकीय प्रदर्शन बनाम जनसंख्या का मानदंड

15वें और 16वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों (Terms of Reference) में 2011 की जनगणना के उपयोग को अनिवार्य किया गया।

- **दक्षिण भारतीय राज्यों का तर्क:** उन्होंने पिछले चार दशकों में जनसंख्या नियंत्रण (Family Planning) में बेहतरीन काम किया है। 2011 की जनसंख्या को आधार बनाने से उन्हें सजा मिल रही है और उनका वित्तीय हिस्सा कम हो रहा है, जबकि उत्तर भारतीय राज्यों को जनसंख्या बढ़ाने का 'पुरस्कार' मिल रहा है।

4. केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं (Centrally Sponsored Schemes - CSS)

केंद्र सरकार राज्यों पर ऐसी योजनाएं थोपती है जिनमें राज्यों को भी 40% से 50% तक वित्तीय योगदान देना पड़ता है। राज्यों का तर्क है कि इससे उनके अपने प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों (जैसे स्थानीय स्वास्थ्य

या क्षेत्रीय कला) के लिए धन नहीं बचता और यह 'वन-साइज-फिट्स-ऑल' (One-size-fits-all) दृष्टिकोण है।

वित्त आयोग की भूमिका और आवंटन पद्धति (Role of Finance Commission)

अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों के बीच धन बांटने (Horizontal Devolution) के लिए अपनाए गए मानदंड और उनके भारांश (Weightage) को नीचे दी गई तालिका से समझा जा सकता है:

मानदंड (Criteria)	भारांश	विवरण / महत्व
आय की दूरी (Income Distance)	45%	राज्य की प्रति व्यक्ति आय और शीर्ष अमीर राज्य की आय के बीच का अंतर (गरीब राज्यों को अधिक धन)।
जनसंख्या (2011 की जनगणना)	15%	राज्य की जनसांख्यिकीय आवश्यकता को दर्शाता है।
क्षेत्रफल (Area)	15%	बड़े राज्यों में प्रशासनिक और ढांचागत लागत अधिक होती है।
वन और पारिस्थितिकी (Forest & Ecology)	10%	पर्यावरण संरक्षण और कार्बन सिंक बनाए रखने वाले राज्यों को प्रोत्साहन।
जनसांख्यिकीय प्रदर्शन (Demographic Performance)	12.50%	प्रजनन दर (TFR) को नियंत्रित करने वाले राज्यों (विशेषकर दक्षिण भारत) को पुरस्कृत करने के लिए।
कर और राजकोषीय प्रयास (Tax & Fiscal Effort)	2.50%	अपने स्तर पर अधिक कर वसूलने और राजकोषीय अनुशासन रखने वाले राज्यों के लिए।

5. शोध पत्र के लिए प्रमुख सिफारिशें (Recommendations)

एक उच्च स्तरीय शोध पत्र को रचनात्मक समाधानों के साथ समाप्त होना चाहिए:

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम में लचीलापन: महामारी या वैश्विक आर्थिक मंदी जैसी असाधारण स्थितियों में राज्यों के लिए ऋण लेने की सीमा (GSDP का 3%) में तार्किक ढील दी जानी चाहिए, लेकिन इसे पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) से जोड़ा जाए।

- **निहित पूल (Divisible Pool) का पुनर्गठन:** संविधान में संशोधन करके उपकर (Cess) और अधिभार (Surcharge) को भी राज्यों के साथ साझा करने वाले पूल में शामिल किया जाना चाहिए, या इसकी एक ऊपरी सीमा (जैसे कुल राजस्व का अधिकतम 5%) तय होनी चाहिए।
- **GST परिषद में सुधार:** निर्णय लेने की प्रक्रिया में राज्यों के सामूहिक वोट शेयर को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि केंद्र के पास मौजूद 'वीटो पावर' (33%) के कारण राज्यों की आवाज न दबे।
- **स्थानीय निकायों का सुदृढ़ीकरण:** 73वें और 74वें संशोधन के बावजूद, पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को पर्याप्त वित्तीय शक्तियां नहीं मिली हैं। राज्य वित्त आयोगों (State Finance Commissions) को अधिक स्वायत्त बनाया जाए।
- **CSS की री-स्ट्रक्चरिंग:** केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की संख्या कम की जानी चाहिए और राज्यों को ब्लॉक ग्रांट (Block Grants) दिए जाने चाहिए ताकि वे अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार नीतियां बना सकें।

6. निष्कर्ष

भारतीय वित्तीय संघवाद एक नाजुक संतुलन पर टिका है। भारत को 'प्रतिस्पर्धी संघवाद' (Competitive Federalism) से आगे बढ़कर

'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism) की वास्तविक भावना को अपनाना होगा। 16वें वित्त आयोग के पास यह ऐतिहासिक अवसर है कि वह उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच के असंतोष को दूर करे और उपकर के माध्यम से हो रहे वित्तीय केंद्रीकरण पर अंकुश लगाए। एक मजबूत भारत का निर्माण केवल एक मजबूत केंद्र से नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और वित्तीय रूप से सुदृढ़ राज्यों के माध्यम से ही संभव है।

संदर्भ सूची

1. आहलूवालिया MS. फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया: चैलेंजेस अहेड. जर्नल ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स. 2016;21(3):112-25.
2. आनन्द Y, चक्रवर्ती P. GST एंड स्टेट फाइनेंस: ए कम्परेटिव स्टडी. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली. 2019;54(12):45-52.
3. इसहाक TMT. चैलेंजेस टू इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म: ए स्टेट्स पर्सपेक्टिव. सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज; 2019. वर्किंग पेपर No. 482.
4. केली N, शाह A. इन सर्व ऑफ कॉम्परेटिव फेडरलिज्म: रिफॉर्मिंग इंडियाज फिस्कल आर्किटेक्चर. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 2021.
5. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. रिपोर्ट ऑफ द ट्रेल्यु फाइनेंस कमीशन (2005-2010). नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय; 2015.
6. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. रिपोर्ट ऑफ द फिफ्टीन्थ फाइनेंस कमीशन (2021-2026). नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय; 2020.
7. चक्रवर्ती P. फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया: ट्रेंड्स एंड ट्रेजेक्ट्रीज. नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन्स; 2021.
8. पुंछी आयोग. रिपोर्ट ऑन केंद्र-राज्य संबंध. भाग 2: वित्तीय संबंध. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2010.

9. बगाची A. रीडिंग्स इन इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 2007.
10. भास्करा राव N. बदलते दौर में केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन; 2018.
11. मजूमदार S. द राइज ऑफ सेस एंड सरचार्ज: एरोडिंग द डिजिटल पूल. इंडियन इकोनॉमिक जर्नल. 2022;70(2):201-15.
12. रंगराजन C, श्रीवास्तव DK. फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया: कंटेम्परी इश्यूज. नई दिल्ली: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी; 2011.
13. राव MG, सिंह N. द पॉलिटिकल इकॉनमी ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया. ऑक्सफोर्ड: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 2005.
14. राव MG. फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया: पोस्ट-GST परिदृश्य. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली. 2017;52(26):33-40.
15. रेड्डी YV, रेड्डी GR. इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 2019.
16. लहरी A. डेमोग्राफिक डिविडेड वर्सेस फिस्कल पेनल्टी: द 15th फाइनेंस कमीशन डिलेमा. जर्नल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. 2020;22(1):89-104.
17. सरकारिया आयोग. रिपोर्ट ऑन केंद्र-राज्य संबंध. अध्याय 10: वित्तीय संबंध. नई दिल्ली: भारत सरकार; 1988.
18. सिंह N. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन द टाइम ऑफ क्राइसिस. इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. 2021;67(4):512-26.
19. सुब्रमण्यन A. द साउथ्स फिस्कल एंग्जायटी: पापुलेशन, पॉलिटिक्स एंड पेंस. साउथ इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू. 2023;15(2):14-31.
20. श्रीवास्तव DK. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड स्टेट ऑटोनॉमी: एन एम्पेरिक एनालिसिस. राजकोषीय नीति जर्नल. 2018;8(1):22-38.
21. शर्मा CK. बियॉन्ड सेंट्रलाइजेशन एंड डीसेंट्रलाइजेशन: द नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म. एशियाई सर्वेक्षण. 2015;55(6):1145-67.
22. नीति आयोग. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म: बेस्ट प्रैक्टिसेज फ्रॉम स्टेट्स. नई दिल्ली: नीति आयोग; 2024. वार्षिक रिपोर्ट.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-Commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the Author



डॉ. सुरेश चन्द गुप्ता राजनीति विज्ञान के विद्वान एवं शिक्षाविद् हैं। वर्तमान में वे राजकीय महाविद्यालय, करौली, राजस्थान में सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत हैं। उनकी शैक्षणिक रुचि भारतीय राजनीति, लोक प्रशासन, लोकतांत्रिक शासन, सार्वजनिक नीति तथा समकालीन राजनीतिक विमर्श में है। वे शिक्षण, शोध एवं अकादमिक लेखन में सक्रिय योगदान देते हैं।